

का तत्काल निस्तारण करने तथा रिजेक्शन के मामलों की समीक्षा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए।

ट्रांसफार्मरों के उच्चीकरण में देरी पर मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बकायेदारों के कारण नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग और बिजली कटौती की समस्या नहीं झेलनी चाहिए। जहां आवश्यकता हो, वहां ट्रांसफार्मरों की क्षमता तत्काल बढ़ाई जाए तथा बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

नवसृजित नगर पंचायतों में विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नगर विकास विभाग द्वारा लगभग 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अनेक नगर पंचायतों में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर बिजली आपूर्ति होना उचित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में मुख्यालयों की तर्ज पर निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बजट देने को तैयार है, इसलिए विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए तेजी से कार्य किया जाए।

ऊर्जा मंत्री ने नवंबर माह के बिजली बिलों में प्रदेश के उपभोक्ताओं को 9.70 प्रतिशत की राहत मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि इससे घरेलू, व्यावसायिक एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह राहत लगातार पांचवें महीने दी जा रही है।

बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री रणवीर प्रसाद, यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री नीतीश कुमार, एमडी श्री मयूर माहेश्वरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पर्क सूत्र— प्रवीण मालवीय

राम यतन/04:40 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं0 : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upsoochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in